बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले किन्नर समुदाय (**Transgender**) को पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में आच्छादित करते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को फरवरी, 2014 से लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जनसामान्य को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न को उपलब्ध कराना है । इसके अन्तर्गत अन्त्योदय श्रेणी के गृहस्थियों को 35 किलोग्राम एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम प्रति माह खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है । गेहूँ एवं चावल का दर 2/–(दो) रू0 एवं 3/–(तीन) रू0 प्रति किलोग्राम है।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत पात्र परिवारों/लाभुकों की पहचान हेतु अधिसूचना सं0–8815 दिनांक 19.11.2015 एवं 923 दिनांक 08.02.2016 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किया गया है । इसी क्रम में राज्य में किन्नर समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले किन्नर समुदाय को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अच्छादित किया जाना आवश्यक है ।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिमय 2013 के अन्तर्गत किन्नर समुदाय को आच्छादित किये जाने की स्थिति में तत्काल भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न के आवंटन के विरूद्व उक्त श्रेणी के पात्र किन्नरों को खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी, फलतः खाद्यान्न क्रय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न के हथालन, परिवहन, राज्य खाद्य निगम को मार्जिन मनी एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के कमीशन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दर के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त 55.27 लाख मे0टन खाद्यान्न के अधीन होगा ।

4. राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले किन्नर समुदाय (Transgender) को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत इनकी पात्रता निम्नवत् निर्धारित की जाएगी :–

i. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में उनकी पात्रता की पहचान की जाएगी ।

ii. ऐसे पात्र लाभुकों (किन्नर) की पहचान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत द्वारा की जाएगी ।

5. अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले किन्नर समुदाय (Transgender) को पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में आच्छादित करते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की स्वीकृति प्राप्त है ।

7. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 01.03.2018 को मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या– प्र06–विविध–27 / 2014 / 12 टि0।

8. संकल्प पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–27 / 2014 1239 खाद्य–पटना / दिनांक– 09.03.18
प्रतिलिपि – ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विषयशीर्ष की अंग्रेजी अनुवाद के साथ M.S. Word मे सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–27 / 2014 1239 खाद्य–पटना / दिनांक– 09.03.18
प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–27 / 2014 - 1239 खाद्य–पटना / दिनांक– 09.03.18
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / सरकार के सभी विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / प्रबध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद् / सभी विश्वविधालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय / स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा के उपक्रमों / पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

सरकार के सचिव ।